हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

चौदहवां सत्र

<u>समाचार भाग-1</u>

संख्याः 122

वीरवार, 24 फरवरी, 2022/5 फाल्गुन, 1943(शक्)

<u>सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख</u>

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

अध्यक्ष द्वारा संबोधन

"इस बजट सत्र में भाग लेने के लिए मैं सभी माननीय मंत्रीगण व सदस्यों विशेषकर सदन के नेता श्री जय राम ठाकुर जी व नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा यह भरसक प्रयास रहेगा कि जहां माननीय सदस्यों को सदन में अपनी-अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर मिले वहीं मैं आपसे यह भी अपेक्षा करूंगा कि आप भी नियमों की परिधि में रहकर चर्चाओं को सार्थक बनाएं। सभी माननीय सदस्यों से मेरी अपेक्षा भी रहेगी कि सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने में मुझे आप सभी का सहयोग मिलता रहेगा।"

1. शोकोद्‌गार

निम्नलिखित ने स्वर्गीय श्री कश्मीरी लाल जोशी व श्री चमन लाल, पूर्व सदस्य हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए शोकोद्‌गार व्यक्त किएः-

1. **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री**
2. **श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष**

3. **डॉ0 राजीव बिन्दल**
4. **श्री राकेश सिंघा**
5. **डॉ0 राजीव सैजल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री**
6. **श्री सतपाल सिंह रायजादा**
7. **श्री बलबीर सिंह**
8. **श्री लखविन्द्र सिंह राणा**
9. **डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल**

माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित शब्दों में अपने शोकोद्गार व्यक्त किए-

"पिछले सत्र व इस सत्र के मध्य हमने इस सदन की दो महान विभूतियों स्वर्गीय श्री कश्मीरी लाल जोशी तथा श्री चमन लाल जी को खोया है। इन दोनों सदस्यों के लिए इस माननीय सदन के नेता व माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर द्वारा शोकोद्गार प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें मैं भी अपने आपको शामिल करता हूं।

श्री कश्मीरी लाल जोशी जी तीन बार इस माननीय सदन के सदस्य रहे हैं। जब मैंने वर्ष 1995 में पहली बार चुनाव लड़ा तब मेरा उनसे परिचय हुआ था। उनका स्वभाव बहुत सरल व मिलनसार था और उनकी वाणी में बहुत मिठास थी। अपने स्वभाव से किसी को भी अपना बना लेना उनके व्यक्तित्व में झलकता था। ऐसे लोगों द्वारा समय-समय पर दिया गया योगदान जिंदगीभर मन-मस्तिष्क में स्मरण रहता है। उन्होंने 83 वर्ष की आयु में दिनांक 28 जनवरी, 2022 को अपनी देह को त्याग दिया।

स्वर्गीय श्री चमन लाल जी से भी मेरा कोई पुराना वास्ता नहीं रहा है। अभी जब राष्ट्रपति जी यहां विधान सभा को सम्बोधित करने के लिए आए थे उस समय सभी निवर्तमान विधायकों/सांसदों तथा वर्तमान सदस्यों को आमंत्रित किया गया था जिसमें श्री चमन लाल जी भी उपस्थित हुए थे। जब बाहर ग्राउंड में सामूहिक फोटोग्राफ हो रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा कि परमार साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने उनसे कहा कि आप जरूर आइये और वे मुझसे मिलने मेरे ऑफिस में आए। उन्होंने लगभग 40-45 मिनट तक मेरे साथ बातचीत की। उन्होंने 77 वर्ष की आयु में दिनांक 13 फरवरी, 2022 को अपनी देह को त्याग दिया।"

(दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए सदन में खड़े होकर कुछ क्षण के लिए मौन रखा गया।)

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्नः 4243 (स्थगित) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्याः 4447 (स्थगित) तथा 4564 से 4568 व 4570 से 4577 व 4579 से 4591 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 4569 दिनांक 07 मार्च, 2022 को माननीय शिक्षा मंत्री के नाम स्थानांतरित किया गया। तारांकित प्रश्न संख्याः 4578 विलोपित किया गया।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 998, 1080 व 1719(स्थगित) तथा 1840 से 1854 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष ने व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से सी0आई0डी0 के एक व्हाट्सऐप ग्रुप से विधायकों की लोकेशन से संबंधित उनके पी.एस.ओज. को भेजे जा रहे मैसिज की ओर मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग की कि यह मामला विधायकों के विशेषाधिकार हनन का है इसलिए इस पर शीघ्र जांच बिठकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाये।

मुख्य मंत्री ने कहा कि विधायकों की मूवमैंट के सिलसिले में सरकार की ओर से इस तरह के कोई आदेश नहीं हुए हैं। अगर इस तरह का मैसेज हुआ होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई करने का विचार करेंगे।

3. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

सतपाल सिंह रायजादा ने कहा कि अपनी सुरक्षा के लिए उनके द्वारा जिस पी.एस.ओ. की मांग की गई थी, उनके साथ उसको न लगाकर सी.आई.डी. द्वारा किसी अन्य पी.एस.ओ. को लगा दिया गया जिसे वे जानते तक नहीं है।

मुख्य मंत्री ने जानकारी दी कि पी.एस.ओ. माननीय विधायकों के कहने पर ही उनके साथ तैनात किए जाते हैं। लेकिन जिस पी.एस.ओ. को किसी विधायक के साथ तैनात किया जाता है उसमें इस बात को भी देखा जाता है कि क्या वह इस दायित्व का निर्वहन करने में सक्षम व ईमानदार है। इन सारी चीजों को मद्देनज़र रखते हुए ही किसी योग्य पी.एस.ओ. को विधायक के साथ लगाते हैं।

सदस्य द्वारा सूचना

श्री अरुण कुमार, सदस्य ने अपने विधान सभा क्षेत्र नगरोटा-बगवां की ग्राम पंचायत रजयाणा-53 मील के एक नौजवान श्री सुरेश कुमार, सुपुत्र स्वर्गीय श्री रमेश चंद जो पिछले 14 वर्षों से दिल्ली में एक प्राइवेट बेकरी, विकासपुरी में काम करता था, की दिनांक 22.02.2022 को पश्चिम बिहार में आशु नामक लड़के के साथ बहस-बाजी हुई और कुछ समय बाद वह मृत अवस्था में मिला, की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए मुख्य मंत्री जी से इस मामले पर दिल्ली पुलिस से बातचीत करके मृतक के परिवारजनों को न्याय दिलाने की मांग की।

मुख्य मंत्री ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए वे कमिशनर, दिल्ली पुलिस से मामला उठाएंगे।

मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

दिनांक 22 फरवरी, 2022 को सुबह लगभग 10:15 बजे तहसील हरोली (ऊना) के बाथड़ी के औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत Jai Guru Ji Enterprises नामक एक पटाखा फैक्ट्री के साथ स्थित शैड में धमाका होने के कारण आग लगने से कुछ लोगों की मृत्यु तथा कुछेक के घायल होने बारे वक्तव्य दिया।

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जिस कारखाने में यह घटना घटी है उस कारखाने को एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत लाइसैंस नहीं दिया गया था और न ही इंडस्ट्री डिपार्टमैंट ने उसकी रजिस्ट्रेशन की थी। इसके अलावा अन्य सेफ्टी नॉर्म्स के तहत भी किसी जगह से परमिशन नहीं ली गई थी और न ही एक्साइज एक्ट के तहत कोई परमिशन थी। अतः दोषियों के विरुद्ध जांच बिठाकर उचित कार्रवाई की जाये।

श्री राकेश सिंघा, सदस्य ने भी श्री मुकेश अग्निहोत्री जी के कन्सर्न पर सहमति व्यक्त करते हुए इस पर कार्रवाई की मांग की।

श्री सुखविन्द्र सुक्खु ने भी नेता प्रतिपक्ष की चिन्ता से सहमति जताते हुए एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत संबंधित ऑफिसर्ज पर कार्रवाई की मांग की।

उद्योग मंत्री ने इस मामले की जानकारी देते हुए कहा कि जो हुआ है, वह गलत हुआ है। जब तक यह सदन चल रहा है इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है और जिन लोगों ने गलती की है, उन पर भी क्या कार्रवाई हुई है, उससे संबंधित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखेंगे और यहां पर भी बताएंगे।

मुख्य मंत्री ने कहा कि ऊना में जो घटना घटित हुई है, उसकी रिपोर्ट सात दिन के अंदर आ जाएगी और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

(1.10 **बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2.15 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।**)

(**भोजनावकाश के उपरान्त 2.15 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।**)

4. स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर

सचिव, विधान सभा ने निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी जिन्हें सदन द्वारा पारित किया गया है और जिनमें माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैः-

1. **ठेका श्रम(विनिमयन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 1)**
2. **हिमाचल प्रदेश आबादी देह (अधिकार-अभिलेख) विधेयक, 2021(2022 का अधिनियम संख्यांक 2);**
3. **सरदार पटेल विश्वविद्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2021 (2022 का अधिनियम संख्यांक 3);**
4. **हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, 2021 (2022 का अधिनियम संख्यांक 4); और**
5. **औद्योगिक विवाद(हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2022 का अधिनियम संख्यांक 5)।**

4(क)अध्यादेश

श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा दिनांक 01.02.2022 को अनुमोदित, हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (2022 का अध्यादेश संख्यांक-1) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अग्रेंजी पाठ) सभा पटल पर रखी।

5. माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव -प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा

डॉ0 राजीव बिन्दल ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर निम्न शब्दों में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की-

> **"इस सदन में एकत्रित सदस्य, माननीय राज्यपाल महोदय का दिनांक 23 फरवरी, 2022 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए हृदय से आभार प्रकट करते हैं।"**

श्री बलबीर सिंह ने धन्यवाद प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया एवं चर्चा की।

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया -

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री

   (02.44 बजे अपराह्न कर्नल इन्द्र सिंह, सभापति पदासीन हुए।)

   (3.15 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

2. श्री बलबीर सिंह वर्मा
3. श्री विक्रमादित्य सिंह

   (04.35 बजे अपराह्न कर्नल इन्द्र सिंह, सभापति पदासीन हुए।)

4. श्री राजिन्द्र गर्ग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री

   (05.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक 06.00 अपराह्न तक बढ़ाई गई।)

   (05.05 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

5. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल
6. श्री सतपाल सिंह रायजादा

   (06.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक 07.00 बजे अपराह्न तक पुनः बढ़ाई गई।)

7. श्री राजेन्द्र राणा
8. श्री बिक्रम सिंह जरयाल
9. श्री लखविन्द्र सिंह राणा

07.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक शुक्रवार, 25 फरवरी, 2022 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई ।